



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ 1944 (श10)
(सं0 पटना 417) पटना, शुक्रवार, 1 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 जून 2022

एस० ओ० 104, दिनांक 1 जुलाई 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 04, दिनांक 02 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10, दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस का 1 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक अधित्यजन किया जाएगा।”।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13) 1832)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 जून 2022

एस० ओ० 104, दिनांक 1 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13) 1832)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th June 2022

S.O.104, Dated 1st July 2022—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 04, dated the 02nd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10, dated the 02nd January, 2018, namely :—

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of **FORM GSTR-4** for the Financial Year 2021-22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1st day of May, 2022 till the 30th day of June, 2022.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13)1832)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 417-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>